राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1834/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
संतोष बजाज आर-नं- 312- चैतीना कुआं के पास, बीकानेर,राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त शासन सचिव (कार्मिक-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 12-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री विनोद कुमार चितौड़िया, सहायक शासन सचिव, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 8-7-17 के द्वारा राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण के नियम, छूट, गाइड लाइन आदि के सम्बन्ध में 6 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 6-9-17 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि कार्मिक (क) विभाग को प्रत्यर्थी बनाया गया है जबकि अपील का सम्बन्ध प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग से है। यह भी निवेदन किया कि आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस के साथ प्रथम अपील की प्रति प्रेषित की गई है जो कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग में की गई थी। उक्त अपील में कार्मिक (क-2) विभाग से सम्बन्धित बिन्दु संख्या 3 व 4 का जवाब विभाग के पत्र दिनांक 6-9-17 से अपीलार्थी को प्रेषित कर दिया गया था। अतः अपील में प्रशासनिक सुधार विभाग को अपीलोत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे। यह भी निवेदन किया कि कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा पूर्व में ही पत्र दिनांक 6-9-17 से विनिश्चय/ सूचना का प्रेषण कर दिया गया था। सेवा नियमों में स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेशों का कोई प्रावधान नहीं है एवं आवेदन के बिन्दु संख्या 4 के सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20-6-2001 की प्रति भी संलग्न कर प्रेषित कर दी गई थी। तदुनसार प्रथम अपील भी खारिज कर दी गई।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 13-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना वही दी जा सकती है जो अभिलेख पर उपलब्ध है। प्रत्यर्थी से सूचना का सृजन कर सूचना उपलब्ध करवाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा एक ही सूचना के आवेदन दिनांक 8-7-17 पर पोस्ट आर्डर क्रमांक 35 एफ 617484 प्रस्तुत कर तीन विभिन्न अपीलें प्रस्तुत की गई जो कि आयोग में अपील संख्या 1831/2018, 1834/2018 एवं 1835/2018 दर्ज हुई एवं अपील संख्या 1831/2018 एवं 1835/2018 में सूचना प्रदान कर दिये जाने के कारण, खारिज की जा चुकी हैं। अपीलार्थी द्वारा एक ही आवेदन के साथ एक ही पोस्टल आर्डर की प्रतियां लगाकर अपीलें प्रस्तुत करना उचित नहीं है इससे आयोग एवं सम्बन्धित विभाग के संसाधनों का विचलन होता है। उक्त प्रकरण पूर्व में ही अपील संख्या 1831/18 एवं 1835/18 खारिज की जा चुकी हैं। हस्तगत अपील भी ग्राह्य एवं पोषणीय नहीं है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त